पक्षकार – छ0ग0 शासन वि0 राजेश कुमार यादव व एक अन्य प्र0 क्र0 194/18

Witness No. 01 For अभियोजन साक्षी 01 Deposition taken the 11/02/2019 day of. सोमवार witness's apparent age 25 वर्ष States on affirmation शपथपूर्वक my name is.. श्री धर्मेन्द्र पटेल पिता of श्री लल्लू पटेल occupation पेंटिग का काम address न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर जिला– रायपुर छ0ग0

समय–

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमती सुनीता तोमर, एजीपी वास्ते अभियोजन</u>

1– मै न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को पहचानता हू। मै मृतक नंदकिशोर को भी जानता हू। मृतक नंदकिशोर मेरे पहचान का था। मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। इससे पूर्व मेरा न्यायालय में बयान हुआ था।

नोट– <u>इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी विचार बाद अनुमति दी गई।</u>

2– यह कहना सही है कि आज से करीबन दस साल पूर्व 2010 में रात्रि लगभग 10:30 बजे बजाज कालोनी में शिव मंदिर के पास मै, इंद्रकुमार, महेश, राजेश कुमार यादव, अभिलेष उर्फ मोहिन एक चबूतरे में बैठना होता है। स्वतः कहा कि आज भी हम लोगो का उठना बैठना होता है।

3– यह कहना गलत है कि उसी समय नंदकिशोर मनहरे आया तथा न्यायालय उपस्थित आरोपीगण आपस में झगडने लगे। यह कहना गलत है कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगणो ने नंदकिशोर को आज तुम्हे जान से निपटा देते है बोलते हुए नंदकिशोर में रखे गमछा को उसके गले में लपेटकर दोनो खीचने लगे। यह कहना गलत है कि दोनो आरोपीगणो ने गमछा को खीचकर नंदकिशोर जब तक जमीन पर नहीं गिरा तब तक खीचते रहे।

4– यह कहना गलत है कि दोनो आरोपीगण नंदकिशोर के गले में गमछा डालकर खीच रहे थे तब मैने उन्हें देखा था। यह कहना गलत है कि जब

नंदकिशोर जमीन में गिर गया था तथा नंदकिशोर शांत पढ गया था। यह कहना गलत है कि नंदकिशोर को दोनो आरोपीगणा ने गला घोटकर मार दिया था।

5— यह कहना गलत है कि मै डरकर वहां से भाग गया था। यह कहना गलत है कि कुछ समय बाद मै, इंद्रकुमार तथा महेश आपस में मिलकर घटना की चर्चा किए और क्राइम ब्रांच वाले पुलिस को बताये थे।

6— साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र0पी0—1 के अ से अ भाग '' उसी समय .....देखा हू, का कथन पढकर सुनाये समझाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसा बयान देने से इंकार किया है, पुलिस वाले कैसे लिखे उसे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि न्यायालयीन कथन प्र0पी0—2 के अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

7— मुझे आज याद नहीं है कि मैने न्यायालय मे प्रदर्श पी—2 के ब से ब भाग का बयान दिया था या नहीं। यह कहना गलत है कि मै आरोपीगण के डर से उनके विरूद्ध बयान नहीं दे रहा हू।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश सिंह ठाकुर अधिवक्ता वास्ते आरोपी अवलेष धृतलहरे</u>

8— यह कहना सही है कि बहुत समय पहले नंदकिशोर घर छोडकर चला गया था काफी तालश के पश्चात नहीं मिला। यह कहना सही है कि वह घर छोडकर क्यो गया है, यह कारण भी हम लोगो को नहीं मालूम। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी—1 की लिखा पढी पुलिस वाले किस आधार पर किये, मै नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी—1 के अनुसार मैने पुलिस वाले को कोई बयान नही दिया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संदीप अधिवक्ता वास्ते आरोपी राजेश यादव</u>

9— कुछ नहीं।

वाचित स्वीकृत

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर— .....